झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
सप्तदश (मॉनसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 01.08.2024 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	**श्री विनोद कुमार सिंह स0वि0स0**	कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार राज्य में संविदा/अनुबंध में कार्यरत कर्मियों की सेवा में सुधार, नियमितीकरण हेतु 2020 में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमिटी का गठन किया गया था। लेकिन आज 4 वर्षो के बाद भी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। आज जहाँ सरकार ने एक ओर सभी महिलाओं के लिए अनिवार्य पेंशन लागू कर दिया है। वहीं अनुबंध में कार्यरत जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, रसोईया, कृषि मित्र, जैसे अनुबंधकर्मियों को तीन हजार रूपये भी प्रतिमाह नहीं मिल रहा है। वही मनरेगाकर्मी, शिक्षा विभाग के कर्मी, आंगनबाड़ी कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, प्रखण्ड/जिला कार्यालय में कार्यरत कर्मी उच्च शिक्षा, तकनीकी योग्यता रखनेवाले, 10 से 20 वर्षो तक के कार्यानुभव के बावजूद उनकी सेवा स्थायी नहीं हो रही है।	**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा**

01.	02.	03.	04.
		अतः जब सरकार ने कमिटी बनाकर सैद्धांतिक सहमति दी है, तो आवश्यक है कि रिपोर्ट आने तक सभी अनुबंधकर्मियों को उनके पद के अनुरूप मानदेय में वृद्धि की जाय। राज्य के इस अतिमहत्वपूर्ण विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
02–	**श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, स0वि0स0 श्री सुदिव्य कुमार स0वि0स0**	राज्य के विभिन्न समाहरणालयों, प्रखंडों में कार्यरत कर्मचारियों/लिपिकों की समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। महोदय, कैरियर में आगे बढ़ने का मौका सभी को मिलना चाहिए लेकिन, दुर्भाग्यवश JPSC की सीमित सेवा की परीक्षा में राज्य के शिक्षकों एवं इन कर्मचारियों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है। मैं गुजारिश करना चाहूँगी की इन कर्मियों को भी सीमित सेवा की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाए साथ ही सामान्य परीक्षा की तरह ही सीमित सेवा परीक्षा का भी आयोजन करवाया जाए।	**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा**
03–	**श्री कोचे मुण्डा, स0वि0स0 श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, स0वि0स0 श्री केदार हजरा स0वि0स0**	बिहार सरकार/कल्याण विभाग पत्रांक–1/सी0–101/96– क– 1397 पटना– 15,दिनांक– 11.03.1997 सरकार के सचिव, जी0एस.कंग, ज्ञापांक–376 झारखण्ड सरकार के पत्रांक–1/सी– 100/96–1397, दिनांक– 11.03.97 प्रतिलिपि संलग्न द्वारा ज्ञापांक–04/जा0– नि0– 30/2004– 2304 राँची, दिनांक–20.09.2012 सरकार के सचिव श्री एल0 खियंग्ते के द्वारा सभी उपायुक्त, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/आदिवासी कल्याण आयुक्त राँची/सभी उप निदेशक/प्रबंध निदेशक टी0सी0डी0सी0निदेशक टी0आर0आई0/सभी अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी/विशिष्ट पदाधिकारी पहाड़िया कल्याण साहेबगंज एवं दुमका आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित। किया गया था। जिसमें रौतिया जाति को आदिवासियों की भाँति छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालयों–	**अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण**

01.	02.	03.	04.
		की सुविधाएं, चिकित्सा अनुदान, कानूनी सहायता कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत सभी योजनाओं में लाभ देने के लिए बिहार सरकार एवं झारखण्ड सरकार रे प्रतिलिपि पत्र संलग्न कर भेजा गया था, जो वर्त्तमान समय तक मिल रहा है। लेकिन कल्याण विभाग/शिक्षा विभाग द्वारा जान बुझकर रौतिया जाति के लोगों को लाभ से वंचित किया जा रहा है। अतएव सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अनुरोध है कि रौतिया जाति के लोगों को अविलंब सभी सरकारी सुविधा एवं लाभ दिया जाये।	
04–	**श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0 श्री राजेश कच्छप स0वि0स0 श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की स0वि0स0**	सिमडेगा जिला में मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलेबिरा के कई सरकारी स्कूलों का भवन जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण छात्रों का पढ़ाई बाधित हो रही है। जर्जर भवन रहने के कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। जर्जर भवन के रहते हुए छात्र–छात्राओं के अन्दर पढ़ाई करने के प्रति एक भय का माहौल रहता है ऐसे माहौल में पढ़ाई करना सम्भव नहीं है। उनके हक में शिक्षा का अधिकार कानून भी प्राप्त है। अतः सरकार मेरे क्षेत्र जो आदिवासी बहुल एवं पिछड़ा हुआ क्षेत्र है को ध्यान में रखते हुए छात्रों का शिक्षा के प्रति उत्साह को देखते हुए सरकारी स्कूल भवनों को इसी वित्तीय वर्ष में मरम्मति कार्य कराई जाए या वैसे भवन जिसकी हालत बहुत ही खराब है उस स्कूल भवन की जगह नया भवन बनाने हेतु आपका ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता**
05–	**श्री अमित कुमार मंडल स0वि0स0 श्री नारायण दास स0वि0स0**	राज्य के विभिन्न 40 विभागों में 6 (छः) लाख अनुबंध कर्मी वर्षो से कार्यरत है। उक्त संदर्भ में वर्त्तमान सरकार ने अनुबंध कर्मी के अनिश्चितता पर ठोस कदम उठाने के लिए वर्ष–2020 में राज्य के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन	**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा**

कृ0पृ0उ0–

01.	02.	03.	04.
		हुआ था। जिसके आलोक में सभी विभागों से प्रतिवेदन की माँग की गई थी। उक्त विषय पर प्रतिवेदन विकास आयुक्त के पास आया, नही अबतक धरातल पर नही दिखता है। जिस कारण राज्य के अनुबंध कर्मी असमंजस की स्थिति में जीने को विवश के साथ, आये दिन राजधानी समेत प्रखंड से जिले–स्तर पर लगातार आन्दोलनरत है। जिससे राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने के साथ सरकार के सभी विभागों के कार्य प्रगति (विकास) भी प्रभावित होते रहती है। विदित् हो कि कार्यरत अनुबंध कर्मी की सेवा 60 वर्ष के साथ समायोजन नीति बनाने की घोषणा भी की गई थी। इसके बावजूद भी सरकार अब तक कोई ठोस कदम नही उठा पायी है। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि वर्ष– 2020 में बने विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति का प्रतिवेदन के साथ समायोजन नीति 60 वर्ष के लिए सरकार तत्काल बनायें।	

राँची,
दिनांक– 01 अगस्त, 2024 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–30/2024–3518/वि0 स0, राँची, दिनांक– 31/07/24

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/नेता प्रतिपक्ष/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाष विभाग/ सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.07.24
(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–30/2024–3518/वि0 स0, राँची, दिनांक– 31/07/24

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

31.07.24
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/–

31/07/24